लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1758
दिनांक 10.02. 2026को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा उद्योग

1758. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री आनंद भदौरियाः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, हथकरघा उद्योग चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से हथकरघा उद्योगों द्वारा निर्मित सस्ते आयातित माल के कारण पतन के कगार पर है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में हथकरघा उद्योग एवं हथकरघा बुनकरों को बचाने के लिए हथकरघा (वस्तुओं के उत्पादन के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1985 को सख्ती से लागू कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): सरकार हथकरघा बुनकरों की सहायता करने, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है एवं सहायक उपाय कर रही है। इस संदर्भ में, उत्तर प्रदेश से 2024-25 में हथकरघा निर्यात 2022-23 के 270.4 करोड़ रूपये से लगभग 2% (सीएजीआर) की वृद्धि दर्ज करते हुए 281.5 करोड़ रूपये रहा है, जबकि, पिछले तीन वर्षों में भारत का हथकरघा उत्पादों का आयात घरेलू हथकरघा उद्योग पर आयातों के सीमित प्रभाव को दर्शाते हुए लगभग 14.1 करोड़ रूपये के औसत के साथ नाममात्र रहा है।

(ख) और (ग): भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय पावरलूम निरीक्षण जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से पावरलूम पर पूर्वोक्त अधिनियम के तहत आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन से हथकरघा बुनकरों की सुरक्षा के लिए, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वित कर रही है। पिछले 03 वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की गई प्रवर्तन कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	निरीक्षण किए गए पावरलूम की कुल सं.	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
01.	2025-26	2,05,282	34
02.	2024-25	3,97,777	57
03.	2023-24	3,84,860	98
04.	2022-23	1,88,642	53

****